न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 130 / 2013

उनवान

1. शांता पुत्री बशी लाल शर्मा, निवासी बीरधोल तहसल कोटडी जिला भीलवाडा
2. कंचन पुत्री बंशी लाल शर्मा, निवासी बीरधोल, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. चांदी बेवा जानकी लाल शर्मा निवासी बीरधोल, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा ...रेस्पोडेण्ट / वादी
2. लादू लाल पिता मिठू लाल शर्मा, मृतक के बजाय :–
   2/1 रूकमा पत्नी लादू लाल शर्मा निवासी बीरधोल तहसील कोटडी
   2/2 भगवती देवी पुत्री लादू लाल शर्मा पत्नी राजेश कुमार निवासी हाजीवास हाल शिवनगर, सोफिया स्कूल के पीछे, भीलवाडा
   2/3 गायत्री देवी पुत्री लादू लाल शर्मा निवासी कंवलियास हाल आदर्श नगर, भीलवाडा
3. राजेन्द्र उर्फ राधेश्याम पिता जानकी लाल शर्मा, निवासी बीरधोर तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 317 / 2011 निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.5.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जगदीश दाधीच अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री कुन्दन शर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.9.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बीरधोल पटवार हल्का बीरधोल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 98 की आराजी नम्बर 975 / 5 रकबा 8 बीघा स्थित है जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा व दखल वर्तमान में चला आ रहा है । क्योंकि वादिया के पति जानकी लाल जी हरिराम जी के गोदपुत्र थे तथा उक्त वर्णित आराजियात हरिराम जी के खातेदारी अधिकार की थी । हरिराम जी का देहान्त 1973 में हो गया । उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त वर्णित आराजियात वादिया के पति के नाम पर खोलने हेतु नामान्तरकरण पर पटवार हल्का बीरधोल व भू अभिलेख निरीक्षक ने यह रिपोर्ट की, किन्तु उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए ग्राम पंचायत बीरधोल ने नामान्तरकरण वादिया के पति के साथ–साथ प्रतिवादीगण के नाम पर भी खोलकर फैसल कर दिया, जबकि उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा व दखल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नहीं था व न ही वर्तमान में है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम पर अभिलिखित कर दिये जाने से उनके मन में बदनियति आ गई है तथा वे कभी भी उक्त विवादित आराजियात को हस्तान्तरित कर सकते हैं तथा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 5 को उक्त विवादित आराजियात से बेदखल कर सकते हैं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायम 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 5 को उक्त विवादित आराजियात से बेदखल,दखलन्दाजी नहीं करें एवं न अन्य से करावें तथा वादग्रस्त आराजियात को रहन, बय, बक्षीस नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करे, एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम वादग्रस्त आराजियात बाबत अभिलिखत कर दिये जाने से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक व अधिकारों पर इसका विपरीत असर पडता है । इस कारण वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र कर स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्य 2 से 4 व मृतक छाऊ के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम बीरधोल हल्के में स्थित आराजी संख्या 975/5 रकबा 08 बीघा हरिराम पिता मथु लाल ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार की थी । हरिराम जी के कोई संतान न होने से उसके पति जानकी लाल जी को गोद लिया । इस प्रकार जानकी लाल मृतक हरिराम के गोदपुत्र थे किन्तु ग्राम पंचायत बीरधोल, ने हरिराम का नामान्तरकरण जानकी लाल के नाम पर न खोल अपीलाण्ट के पिता बंशी लाल व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम पर भी उक्त नामान्तरकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया रेस्पोडेण्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के साथ–साथ खोलकर फैसल कर दिया गया जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर गलत है। हरिराम जी की उक्त आराजियात पर रेस्पोडेण्ट / वादिया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का ही कब्जा व दखल चला आ रहा है तथा कोई कब्जा व दखल मृतक बंशी लाल व उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का नहीं रहा है इस कारण उक्त वर्णित आराजियात का तन्हा खातेदार काश्तकार वादिया / रेस्पोडेण्ट एवं प्रतिवादी / रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण पर उक्त वाद के सम्मन की तामील होने पर अपीलाण्ट / प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय में समायत योग्य न होने से खारिज किये जाने की इस्तदुआ की क्योंकि रेस्पोडेण्ट / प्रतिवादी संख्या 5 जो कि रेस्पोडेण्ट / वादिया का ही पुत्र है, ने एक वाद इसी आराजी के संबंध में धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलाण्ट व दीगर रेस्पोडेण्ट आदि के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 434 / 2006 राजस्व कायम हुए उक्त वाद दिनांक 8.2.2007 को खारिज किया गया उक्त सारे तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेण्ट / वादिया को होते हुए भी उन्हें जानबूझकर छूपा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से दुर्भिसंधि कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो किसी कदर पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया । इसी तरह प्रतिवादी / रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लादू लाल की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत उक्त वाद को गोदपुत्र की घोषणा से संबंधित होने से उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय में समायत योग्य न होने से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खारिज किये जाने का निवेदन किया । उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4.5.2012 को निस्तारण करते हुए खारिज कर दिया । उसके उपरान्त पत्रावली को जवाब में नियत किया गया । इसके उपरान्त दिनांक 16.8.2012 को एक प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हरिराम के खोले गये इन्तकाल संख्या 546 दिनांक 16.11.1973 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी जहाजपुर कैम्प कोटडी में प्रस्तुत की है जिसके नम्बर 17/2006 कायम हुए उक्त अपील में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाब्ता दीवानी के तहत रेस्पोडेण्ट/वादिया की ओर से प्रस्तुत किया जो दिनांक 7.2.2008 को खारिज किया गया जिसके विरूद्ध एक निगरानी संख्या 2219/2008 रेस्पोडेण्ट/वादिया ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की कि उक्त पत्रावली मे निर्णय होने तक मौजूदा वाद की कार्यवाही को ड्रोप किये जाने का निवेदन किया उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण आज दिनांक तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। इस दौरान प्रतिवादी छाऊ का निधन हो जाने से दिनांक 13.5.2013 को एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 21.5.2013 को स्वीकार किया गया तथा पत्रावली पुनः दिनांक 16.8.2012 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की बहस हेतु दिनांक 23.5.2013 को नियत की गई और दिनांक 23.5.2013 को मात्र प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2012 पर ही बहस समायत की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय न कर मूल वाद ही निर्णित कर अपीलाधीन निर्णयव डिकी दिरनांक 28.5.2013 पारित कर दी । जो विधि के सर्वथा विरूद्ध एवं मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होकर खारिज योग्य है ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है क्योंकि पत्रावली में दिनांक 16.8.2012 को अपीलाण्ट प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब भी वादिया रेस्पोडेण्ट की ओर से दिनांक 28.8.2012 को प्रस्तुत किया गया तथा बहस भी उसी दिन सुना जाना आदेशिका दिनांक 28.8.2012 में उल्लेखित किया गया है। किन्तु पत्रावली पुनः वास्ते बहस हेतु दिनांक 11.9.2012 नियत की गई दिनांक 11.9.2012 , 10.10.2012, 6.11.20112, 13.2.2013 को पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से व राज्य कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में कोई सुनवाई न होकर तारीख पेशी ही परिवर्तित करते हुए दिनांक 21.5.2013 को पेशी नियत की गई। दिनांक 21.5.2013 को प्रकरण में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली को पुनः बहस हेतु दिनांक 23.5.2013 को नियत की गई। किन्तु दिनांक 23.5. 2013 को प्रकरण हाजा में उभयपक्षों के अधिवक्तागण की उपस्थिति में वास्ते बहस हेतु पत्रावली नियत की गई थी किन्तु आदेशिका दिनांक 23.5.2013 में पत्रावली बहस एवं आदेश हेतु दिनांक 28.5.2013 नियत की गई दिनांक 28.5. 2013को उभयपक्ष के अधिनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासनी अधिकारी ने न जाने किन अदृश्य कारणों से दिनांक 16.8.2012 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई सुनवाई उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण न कर मूल वाद का ही निस्तारण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी । जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर गलत एवं अवैध डिक्री बिना साक्ष्य एवं बहस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समायत के अर्थात विधिक प्रक्रिया का निर्वहन किये बिना अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया जाना तथा कथित पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता एवं कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह तथा सामान्यतया यह अवधारणा उत्पन्न करने को विवश कर देता है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर प्रकिया अपनाई है जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया का निर्वहन नहीं कर पारित किया है अधिनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेण्ट के वाद का वादोत्तर ही प्रस्तुत नहीं हुआ तथा न ही कोई साक्ष्य ही रेकार्ड पर ली गई । ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जिस तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 546 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह सर्वथा गलत है क्योंकि रेस्पोडेण्ट/वादिया को अपना वाद साबित करना होता है किन्तु अपीलाधीन प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वादिया द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही किसी प्रकार के दस्तावेज ही प्रस्तुत किये गये। हरिराम जी का जानकी लाल गोद पुत्र है इस तथ्य को समुचित साक्ष्य से प्रमाणित ही नहीं कराया गया है । जिस तथाकथित नामान्तरकरण का उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में किया गया है वह इन्तकाल ही अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था व वर्तमान में भी है क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन कर रखा है कि हरिराम जी के कोई प्रथम श्रेणी का वारिसान न होने से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अनुसूची अनुसार बंशी लाल जो कि हरिराम की मृत्यु के समय उनका एकमात्र भाई होकर वारिस है के नाम पर ही उक्त नामान्तरकरण फैसल किया जाना चाहिये था किन्तु जानकी लाल एवं लादू लाल जोकि हरिराम जी के रिश्ते में भतीजे लगते है के नाम पर भी संयुक्त नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया जो सर्वथा गलत है तथा हरिराम का नामान्तरकरण अपास्त फरमा मात्र बंशी लाल के नाम पर ही हरिराम का नामान्तरकरण फैसल किया जाना चाहिये। उक्त अपील आज भी लंबित है इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसे बिना किसी ठोस आधार के खारिज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादिया का वाद अधिनस्थ न्यायालय में समायत योग्य ही नहीं था । वादिया ने अपने पति जानकीलाल को हरिराम के यहॉ गोद जाने का अभिकथन करते हुए गोद को मुख्य आधार बना उक्त वाद प्रस्तुत किया है अव्वल तो जानकी लाल जी को कभी भी हरिराम जी ने जाति रस्म रिवाज अनुसार विधिवत गोद नहीं लिया है न ही जानकी लाल जी को कभी भी हरिराम जी के यहॉ गोद ही उनके जायन्दा माता पिता द्वारा दिया गया है । अर्थात जानकी लाल जी हरिराम जी के गोद पुत्र नहीं है इस बात की ताईद जानकी लाल जी के पिता मिठू लाल जी की मृत्यु उपरान्त तो इन्तकाल फैसल किया गया वह रेस्पोडेण्ट लादू लाल के साथ–साथ जानकी लाल के नाम पर भी फैसल किया गया है । यदि जानकी लाल जी हरिराम जी के वहॉ गोद गये होते तो निश्चित रूप से अपने जायंदा पिता का इंतकाल उनके नाम पर कदापि फैसल नहीं किया जाता। इतना ही नहीं रेस्पोडेण्ट/वादिया का एकमात्र पुत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट संख्या 3 होकर दोनों ही शामिल शरीक रहते है और रेस्पोडेण्ट / प्रतिवादी संख्या 3 ने एक वाद इन्हीं आराजियात बाबत राजस्व रेकार्ड में चली आ रही प्रविष्टि की स्वीकारोक्ति करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन बाबत इन्हीं पक्षकारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसके प्रकरण संख्या 434 / 06 कायम होकर दिनांक 8.2.2007 को उक्त वाद खारिज किया गया है उक्त वाद इस बात का द्योतक है कि जानकी लाल जी कभी भी हरिराम जी के यहॉ गोदपुत्र नहीं रहे हैं । रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी संख्या 3 की स्पष्टतया स्वीकारोक्ति होकर एडमिशन उक्त वाद से किया गया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त सारे तथ्यों को जानबूझकर नजरअंदाज कर उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं होते हुए भी उक्त वाद को खारिज न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी भूल की है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट / वादिया ने भी एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय में अपने पति जानकी लाल को मीठा लाल जी का पुत्र बताकर मीठा लाल जी की आराजियात के हक व हिस्से बाबत प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 462 / 06 राजस्व वादकायम हुए इस प्रकार स्वयं रेस्पोडेण्ट / वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद से जानकी लाल हरिरिम जी के गोद पुत्र नहीं होना प्रमाणित होता है अर्थात जानकी लाल जी के हरिराम जी के गोद पुत्र नहीं होने बाबत स्पष्टताया स्वीकारोक्ति होकर एडमिशन के होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत तनिक भी विचार नहीं कर पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि हरिराम जी अपने जीवनकाल में अपने भाई बंशी लाल अर्थात अपीलाण्ट प्रतिवादिया के पति के पास ही रहते चले आ रहे थे । हरिराम जी की सेवा चाकरी, भरण–पोषण आदि बंशी लाल जी ने ही किया । हरिराम जी की मृत्यु उपरान्त उनका सारा सामाजिक क्रियाकर्म जाति रस्म रिवाज के अनुसार उनके भाई बंशी लाल ने ही संपादित कराये तथा हरिराम जी की पगडी भी जाति रस्त रिवाज अनुसार बंशी लाल जी के सिर पर बांधी गई। हरिरिम जी की समस्त चल अचल सम्पदाओं पर उनकी मृत्यु केउपरान्त बंशीलाल जी के वालिद अपीलाण्ट ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलाण्ट का ही कब्जा व दखल वादग्रस्त आराजियात पर चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट/वादिया व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का कभी भी वादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय में वाद विचारण योग्य नहीं होने के बावजूद वाद स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होना था क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2012 का निस्तारण होना शेष था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत न होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी । जबकि आज दिनि तक अपीलाण्ट का जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त नहीं किया गया है । इस प्रकार अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है उसमें भारीविधिक भूल की है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवहेलना की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर पत्रावली को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण 2016 (2) सी जे (सिविल) (राजस्थान) पेज 1226 एवं आ एल डब्ल्यू 2015 (1) राजस्थान पेज 189 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

13. प्रत्यर्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई।

14. अपीलाधीन प्रकरण में पत्रावली डेढ वर्ष से बहस में लंबित चल रही थी । अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण को बहस हेतु कई बार अवसर दिये गये थे। उसके बावजूद प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता वक्त बहस उपस्थित नहीं हुए एवं बहस के समय उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी पर बहस करने का निवेदन किया । जिसे उचित नहीं मानते हुए अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 20.9. 2019 नियत किया गया। दिनांक 18.9.2019 को अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 27.8.2019 को अपीलार्थी की बहस समायत कर वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20.9.2019 पेशी नियत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से वक्त बहस अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नही हो सके किन्तु प्रकरण गैर मनकूला जायदाद से संबंधित है तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से अपना पक्ष न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं । प्रकरण में निहित तथ्यों अनुसार पक्षकारान के हक अधिकारों को तय किया जाना है किन्तु प्रत्यर्थीगण की ओर से बहस समायत नहीं फरमाये जाने पर प्रत्यर्थीगण के साथ गंभीरतौर अन्याय होगा व प्रत्यर्थीगण न्याय प्राप्ति से महरूम रह जायेंगे व प्रत्यर्थीगण अनहर्ड रहने से अपनेजायज हक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण हाजा मे प्रत्यर्थीगण की बहस समायत करने का निवेदन किया ।

15. चूंकि प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता को अपीलाधीन प्रकरण में बहस करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है । प्रकरण डेढ वर्ष से बहस में ही लंबित चल रहा था। अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नियत तारीख पर बहस प्रस्तुत करने की बजाय आगामी तारीख पेशी पर बहस करने का निवेदन किया । जिसे स्वीकार नहीं किया जाकर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया । पत्रावली बहस हेतु दिनांक 12.3. 2018 से ही लंबित है, अतः वर्ष 2013 से लंबित प्रकरण में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता से नियत पेशी पर ही बहस कर अपना पक्ष रखने की अपेक्षा की जाती है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिये जाने पर भी यदि वे उपस्थित हो कर भी अपना पक्ष नहीं रख बहस हेतु समय चाहें, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि उचित कारण लिखकर अधिवक्ता अपीलाण्ट को एकपक्षीय ही सुने । अतः उसके बाद अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रकरण को तारीख पेशी दिनांक 20.9.2019 को आदेश में नियत किया गया । दिनांक 18.9.2019 को अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधिवक्ता प्रत्यर्थी को बहस करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः इस स्टेज पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इस तरह की प्रक्रिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा से अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सुनवाई का एक और अवसर दिये जाने की इस्तदुआ की है, जिसे बाद मनन स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी को खारिज किया जाता है।

16. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने पति जानकी लाल शर्मा का वादग्रस्त आराजियात के खातेदार हरिराम जी के यहॉ गोद जाने का कथन किया एवं उस आधार पर वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी प्रदान किये जाने का निवेदन किया । इस बाबत प्रत्यर्थीया/वादिया ने अधिनस्थ न्यायालय में एवं न्यायालय हाजा में किसी प्रकार का कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है। वादिया ने अपना वाद पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं कराया है। गोद पुत्र को साबित करने के लिए वादिया को सिविल न्यायालय से विधि अनुसार गोदनामा साबित कराना अनिवार्य है। गोद पुत्र की घोषणा किये जाने संबंधी सुनवाई कर गोदपुत्र घोषित/निर्णित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण न्यायिक उद्धरण 2016 (2) सी जे (सिविल) (राजस्थान) पेज 1226 में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण में चस्पा होते हैं।

17. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया ने अपने पिता जानकी लाल जी का वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार हरिराम जी के यहॉ गोद जाने का कथन किया है जबकि इस बाबत प्रत्यर्थीया/वादिया ने कोई गोद नामा प्रस्तुत नहीं किया है जबकि वादिया को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपना वाद साक्ष्य, सबूत से साबित कराना आवश्यक होता है। प्रत्यर्थीया/वादिया ने विधिवत गोद लेने एवं गोद लेने संबंधी कोई साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, गवाहान के बयान के आधार पर उभयपक्ष के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारान को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

18. अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 16.8.2012 को एक प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हरिराम के खोले गये इन्तकाल संख्या 546 दिनांक 16.11.1973 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी जहाजपुर कैम्प कोटडी में प्रस्तुत की है जिसके नम्बर 17/2006 कायम हुए उक्त अपील में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाब्ता दीवानी के तहत रेस्पोडेण्ट/वादिया की ओर से प्रस्तुत किया जो दिनांक 7.2.2008 को खारिज किया गया जिसके विरूद्ध एक निगरानी संख्या 2219/2008 रेस्पोडेण्ट/वादिया ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की कि उक्त पत्रावली मे निर्णय होने तक मौजूदा वाद की कार्यवाही को ड्रोप किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 28.8.2012 को प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई एव बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय में प्रकरण विचाराधीन था। उक्त विचारधीन प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नही दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वाद को निस्तारित कर दिया गया। जबकि मूल अपील में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किसी प्रकार की बहस नहीं हो पाई थी। प्रकरण में मात्र दिनांक 16.8.2012 के आदेश में नियत थी। प्रकरण में जवाब दावा लिये जाने के उपरान्त तनकियात कायम की जानी चाहिये थी एवं इसके उपरान्त उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय अपेक्षित था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में लंबित प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2012 में पारित किये जाने के आदेश के स्थान पर मूल अपील का ही अपीलाधीन निर्णय द्वारा निस्तारण कर दिया । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

19. हमनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा अपीलाधीन निर्णय का उभयपक्ष की बहस के क्रम में विवेचन किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। बल्कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए और वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व नामान्तरकरण संख्या 546 व वादिया के शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट पाया है कि मृतक हरिराम के वादिया के पति जानकी लाल गोद गये इस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 546 दर्ज किया गया व वादग्रस्त आराजियात पर भी वादिया ही प्रतिवादी संख्या 5 ही काश्त करते चले आ रहे हैं। उभयपक्ष की बहस सुनने व रिकार्ड का अवलोकन करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि वादिया के पति व प्रतिवादी संख्या 5 के पिता जानकी लाल ही हरिराम के गोद गये थे एवं इसी आधार पर नामान्तरकरण संख्या 546 दर्ज किया गया है। मेरा विनम्र अभिमत है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के शपथ पत्र एवं नामान्तरकरण संख्या 546 को महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते हुए मृतक हरिराम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के गोद पुत्र के रूप में जानकारी लाल को माना है। जबकि नामान्तरकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.1973 को विधिमान्य दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इस नामान्तरकरण द्वारा मृतक हरिराम के विधिक वारिसानों बाबत स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाकर गोद पुत्र एवं द्वितीय श्रेणी के वारिसों दोनों को ही वारिस मान लिया गया। जबकि नामान्तरकरणकर्ता को स्पष्ट रूप से विधिक वारिसान का निर्धारण करना था। यदि श्री जानकी लाल गोद पुत्र प्रमाणित होते हैं तो अन्य द्वितीय श्रेणी के वारिसान को संयुक्त रूप से वारिस नहीं माना जा सकता तथा यदि श्री जानकी लाल गोद पुत्र साबित नहीं होते हैं तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार द्वितीय श्रेणी के वारिस तय किये जाने थे। परन्तु तत्समय विरासत का सही निर्णय नहीं किया जाकर बल्कि उपलब्ध दावेदारों को वारिसान अंकित कर दिया गया। जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में श्री जानकी लाल के गोद जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। चूंकि वाद पत्र धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी उद्घोषणा का है। अतः मात्र नामान्तरकरण संख्या 546 अथवा वादिया के शपथ पत्र के भरोसे निर्णय नहीं किया जा सकता। वादिया/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 घोषणात्मक दावा लाये हैं। जिसे पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर साबित करने का भार वादिया पर है। अतः न्यायहित में प्रकरण को गुणावगुण पर विवेचन उपरान्त निस्तारित किये जाने बाबत अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

20. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.5.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7/11/19 को उपस्थित रहें।

21. निर्णय आज दिनांक 20.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा